Vn- 14427

2/8/04

भारत सरकार मुद्रणालय-6 से दिनांक 25-5-04 को प्राप्त।

प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2004/वैशाख 29, 1926

No. 229] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2004/VAISAKHA 29, 1926

PO-251
KM. 30
Deptt. 01
CBB. 220

पूरा किया

प्रभारी
रा० वि० एकक

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2004

सा.का.नि. 336(अ).— लौह अयस्क खान, मैंग्नीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार लौह अयस्क खान, मैंग्नीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत की उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लौह अयस्क खान, मैंग्नीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लौह अयस्क खान, मैंग्नीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 में,—

(क) नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"29. निरीक्षण - लौह अयस्क खान या मैंग्नीज अयस्क खान या क्रोम-अयस्क खान के स्वामियों द्वारा चलाई जाने वाली औषधालय या अस्पताल सेवाओं का निरीक्षण वार्षिक रूप से उस क्षेत्र के कल्याण आयुक्त और उस क्षेत्र के ज्येष्ठतम चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा । यदि औषधालय या अस्पताल, यथास्थिति, औषधालयों या श्रम कल्याण संगठन के अस्पतालों के विहित स्तर मानकों के अनुरूप हो तो वे प्रारूप क में एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे जो जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त विधिमान्य होगा ।"

(ख) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"32. निरीक्षण - लौह अयस्क खान या मैंग्नीज अयस्क खान या क्रोम-अयस्क खान के स्वामियों द्वारा चलाए जाने वाले प्रसूति केन्द्र का निरीक्षण वार्षिक रूप से उस क्षेत्र के कल्याण आयुक्त और उस क्षेत्र के ज्येष्ठतम चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा । यदि प्रसूति केन्द्र श्रम कल्याण संगठन के प्रसूति केन्द्र के विहित स्तर मानकों के अनुरूप हो तो वे प्रारूप ख में एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे जो जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त विधिमान्य होगा ।"

(ग) नियम 34 के उपनियम (2) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) खान द्वारा उत्पादित लौह अयस्क या मैंग्नीज अयस्क या क्रोम अयस्क की बाबत दस पैसे प्रतिटन की दर से वसूल की गई शुल्क की रकम अनुपातिक लागत की वसूली के खर्चे कम करके; या" ।

[सं. एस-23012/1/2003-डब्ल्यू. II]

मनोहर लाल, महानिदेशक (श्रम कल्याण) एवं संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि.सं0 1232 तारीख 25.9.1978 के तहत प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2004

G.S.R. 336(E).— The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make further to amend the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, in exercise of the powers conferred by section 12 of Iron Ore Mines,

Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification are made available to the public.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules on or before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

The objections or suggestions, if any, may be sent to the Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, Man Singh Road, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement,**- (1) These rules may be called the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, -

(a) for rule 29, the following rule shall be substituted, namely:-

"**29. Inspection** - The dispensary or the hospital services maintained by the owners of the Iron Ore Mines or the Manganese Ore Mines or the Chrome Ore Mines shall be inspected annually by the Welfare Commissioner of the region and the Senior-most Medical Officer of the region jointly. They shall, if the dispensary or the hospital conforms to the prescribed standard of the dispensaries or the hospitals of the Labour Welfare Organisation, as the case may be, issue a certificate in Form A which shall be valid for a period of one year from the date of the issue." ;

(b) for rule 32, the following shall be substituted, namely:-

"**32. Inspection** - The maternity centre maintained by the owners of the Iron Ore Mines or the Manganese Ore Mines or the Chrome Ore Mines shall be inspected annually by the Welfare Commissioner of the region and the Senior-most Medical Officer of the region jointly. They shall, if the maternity centre conforms to the prescribed standard of the maternity centre of the Labour Welfare Organisation, as the case may be, issue a certificate in Form B which shall be valid for a period of one year from the date of the issue." ;

(c) in rule 34, in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) the amount of duty at the rate of ten paise per tonne recovered in respect of iron ore or manganese ore or chrome ore produced by the mine less the proportionate cost of recovery; or".

[No. S-23012/1/2003-W. II]

MANOHAR LAL, Director General (Labour Welfare) & Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published vide notification G.S.R.No.1232 dated 25-9-1978 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.